हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18.11.21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में ALLOT. of Land for Agricul. Purposes Rules, 1970 R.4, हीरालाल बनाम मोतीलाल निगरानी/82/96/TA/अलवर निर्णय 1.11.2004 State of Raj. v/s Shankarlal & Ors. RRD 14.4.2013 Page 479, RRD 14.8.2018, State of Raj. v/s Ramcharan & Ors. RRD 1988 Gangaram Page 205 to 208, Page 689 to 690, v/s State of Raj. Rajkiya Praveshika Sanskrit RRD 1996 Vidhyalaya v/s Sardar Singh & anr. page 500 to 503, DNJ (Raj) 2018(2) State of Raj. v/s Shankarlal Nat & Ors. Page 726 to 729 की रूलिंग पेश की। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टांत शामिल फाईल किये। वकील वादी द्वारा बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया।
	संक्षेप मे वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा नैनवां (द्वितीय) तहसील नैनवां मे भूमि खसरा सं. 5905/1034 रकबा 5 बीघा स्थित है जो खसरा सं. 1034 का ही भाग है जो ख. सं. 1034 मे बरड़ा के बालाजी जाने वाले रास्ते पर स्थित है। यह कि उक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता कजोड़ को दि० 16.12.75 को आवंटित हुई थी और भूमि पर नियमानुसार कब्जा [illegible]। तब से लेकर 10 वर्ष तक [illegible] खातेदार कृषक तत्प[illegible] वादीगण अ[illegible] खातेदार कृषक [illegible] एव पिता की मृत्यु के पश्चात अकेले भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काबिज चले आ रहे है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण विवादित भूमि को अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवाकर भूमि की जमाबंदी में व अन्य भू-अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज करवाऐं। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में आवंटन आदेश की नकल, खसरा गिरदावरी की नकलें, जमाबन्दी शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 13 पेश किये। बयानो के शपथ पत्र एवं गवाह पेश किये।

वाद पत्र के जवाब में प्रतिवादी एवं पैरोकार सरकार ने अपने जवाब वाद पत्र मे निवेदन किया कि वादी ने आवन्टन शर्तों की पालना नही की है। प्रकरण नगरपालिका नैनवां क्षेत्र का है जिसमें खातेदारी के अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को है। अतः अस्वीकार है।

हमने वादपत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, बयानों एवं जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब से स्पष्ट किया है कि उक्त विवादित भूमि पर आवंटी द्वारा आवटंन शर्तों की पालना नही की गई है। तथा नगरपालिका क्षेत्र मे खातेदारी अधिकार दिये जाने का अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को है। अतः वादी का वाद स्वीकार नही किया जा सकता है। आवंटन शर्तों की पालना नही होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वादी का वाद [illegible] किया जाता है। डिक्री पर्चा [illegible] नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:45:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner